उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 83 /2026/2540/77-6-2026-02(एम)/2022
लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2026

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या- 54/2023/3452/77-6-2023-02(एम)/2022, दिनांक 01.11.2023 द्वारा 'फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट(एफडीआई) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023'' प्रख्यापित की गई। उक्त नीति में शासनादेश संख्या-61/2024/2722/77-6-2024-02(एम)/2022, दिनांक 04.11.2024 द्वारा प्रथम संशोधन किया गया।

2- प्रश्नगत 'फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट(एफडीआई) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023'' में द्वितीय संशोधन किये जाने हेतु **संलग्न परिशिष्ट** के अनुसार श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-83 /2026/ 2540(1)/77-6-2026-02(एम)/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ।
12. समस्त अनुभाग, औद्योगिक विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार)
उप सचिव।

परिशिष्ट

शासनादेश सं0-54/2023/3452/77-6-2023-02(एम)/2022, दिनांक 01.11.2023 द्वारा

प्रख्यापित एफडीआई/एफसीआई नीति-2023 में द्वितीय संशोधन

प्रस्तर/शीर्षक	विद्यमान प्राविधान	एतद्द्वारा संशोधित प्राविधान
9(क) पात्र परियोजनायें	प्रोत्साहनों को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित विनिर्माण एवं सेवा इकाइयां (उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 8.3 में उल्लिखित सेवा क्षेत्र) पात्र होंगी- ▪ ₹100 करोड़ के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाली परियोजनाएं, जो कि भारत सरकार की FDI Policy में उल्लिखित Prohibited तथा Permitted Sectors के अधीन होंगी। भारत सरकार FDI Policy के Prohibited एवं Permitted Sectors की सूची संलग्नक-1 पर है। ▪ आवेदन की तिथि तक प्रकाशित फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 (सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को छोड़कर) की अद्यतन सूची में सम्मिलित कम्पनियों द्वारा ₹100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने	**प्रस्तर 9(क) (a) के बाद निम्न प्रस्तर को जोड़ दिया जाये:-** **9(क)(b) वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स तथा निजी औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु सभी पात्र निवेशकों, जिनमें Fortune Global-500एवं Fortune India-500कंपनियां भी शामिल हैं, के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश ₹1,000 करोड़ होगा तथा उन्हें उप-पट्टा (Sub-Leasing) की सुविधा अनुमन्य होगी। FDI/FCI मार्ग के निवेशकों के लिए न्यूनतम ₹250 करोड़ का निवेश FDI/FCI के माध्यम से लाना अनिवार्य होगा। उक्त में से न्यूनतम 10 प्रतिशत का निवेश FDI के रूप में किया जाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि FCI के माध्यम से निवेश की जा सकेगी।**

	वाली परियोजनाएं। फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 की अन्तिम प्रकाशित सूची क्रमशः संलग्नक-2 एवं 3 पर है। (a) ऐसे क्षेत्रों में निवेश करने वाली एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 की कम्पनियां जो कि इस नीति के अन्तर्गत पात्र नहीं होंगी, की सूची संलग्नक-4 पर है।	
10(ii) भूमि आवंटन	अन्य प्रकरणों में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के भूमि आवंटन मूल्य पर Upfront लैंड सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उक्त लैंड सब्सिडी बाद में प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकरणों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। पश्चिमांचल तथा मध्यांचल में Upfront लैंड सब्सिडी की दर 75 प्रतिशत होगी तथा बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल में इसकी दर 80 प्रतिशत होगी।	**10(ii) में उल्लिखित प्राविधान के सापेक्ष निम्न प्राविधान प्रतिस्थापित किया जाये:-** **अन्य प्रकरणों में समस्त विकास प्राधिकरणों में- जिनमें औद्योगिक विकास प्राधिकरण व आवास विभाग के नियंत्रणाधीन प्राधिकरण व आवास विकास परिषद सम्मिलित हैं- ऐसे निवेशकों की भूमि आवंटन मूल्य पर अप-फ्रंट लैंड सब्सिडी प्रदान की जायेगी जो पश्चिमांचल एवं मध्यांचल में कुल मूल्य का 75 प्रतिशत तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में 80 प्रतिशत होगी। फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी, नीति की निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।**

11(क) बंधक	(क)फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्राप्त करने वाली कम्पनी/संस्था को प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि प्राधिकरण के पक्ष में कार्यशील होने/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने तक बंधक रखनी होगी। प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य अवधि में कार्यशील/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं करने की दशा में फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी की धनराशि प्राधिकरण द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कम्पनी/संस्था से वसूल किया जाएगा।।	**प्रस्तर 11(क) के उपरान्त प्रस्तर 11(ख) जोड़ा जाएगा :-** **अथवा** **(ख) Upfront लैंड सब्सिडी की लाभार्थी औद्योगिक इकाइयों द्वारा सब्सिडी की धनराशि के समतुल्य राशि की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी/समतुल्य वित्तीय Instrument (Irrevocable Bank Guarantee/equivalent instruments as specified by the state government) प्रतिभूति के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत की जाएगी—** **1. बैंक गारंटी/ समतुल्य वित्तीय Instrument भूमि आवंटन विलेख के पंजीकरण से पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।** **2. बैंक गारंटी/ समतुल्य वित्तीय Instrument की वैधता अवधि पात्र निवेश अवधि के समतुल्य होगी;** **3. वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने तथा प्रस्तावित पूंजी निवेश का न्यूनतम 50**

		प्रतिशत पूर्ण होने पर ही बैंक गारंटी/ प्रतिभूति अवमुक्त किया जाएगा। चरणबद्ध परियोजना में यह अवमुक्ति सभी चरणों एवं नीति/अनुमोदन की शर्तों की पूर्ति के बाद होगी। **4. बैंक गारण्टी/समतुल वित्तीय प्रतिभूति हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पृथक से जारी की जायेगी।** **5. ऐसी स्थिति में निवेशक आवंटित भूमि को ऋण प्राप्त करने हेतु Collateral के रूप में प्रयोग कर सकेंगे।**
12	- परिभाषित पात्र परियोजनाओं को भूमि की लागत को छोड़कर पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) पर निम्नलिखित दरों पर पूंजीगत सब्सिडी ₹100 करोड़ की वार्षिक सीमा के अधीन 07 समान वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी- i. गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में पात्र पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत ii. पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर व	**प्रस्तर 12 के स्थान पर निम्न संशोधित प्राविधान प्रतिस्थापित किया जाये:-** **12. परिभाषित पात्र परियोजनाओं को भूमि की लागत को छोड़कर पात्र पूंजी निवेश (ECI) पर <u>निम्न दरों पर पूंजीगत सब्सिडी 07 समान /वार्षिक किश्तों में प्रदान की जाएंगी-</u>** **i. गौतम बुद्ध नगर व**

	गाजियाबाद को छोड़ कर) एवं मध्यांचल में पात्र पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत iii. बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में पात्र पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में परिभाषित सकल क्षमता उपयोग गुणक (GCM) तथा बूस्टर्स इस नीति के अंतर्गत लागू नहीं होंगे।	**गाजियाबाद में पात्र पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत** **ii. पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़ कर) एवं मध्यांचल में पात्र पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत** **iii. बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में पात्र पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत** **उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में परिभाषित सकल क्षमता उपयोग गुणक (GCM) तथा बूस्टर्स इस नीति के अंतर्गत लागू नहीं होंगे।**
		प्रस्तर- 34 के उपरान्त यह नवीन प्रस्तर जोड़ा जायेगा- 35. प्राधिकृत समिति ₹3,000 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार प्रकरण-विशेष (Case-to-Case Basis) पर अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने पर विचार कर सकती है। प्रकरण-विशेष आधार पर प्रस्तावित अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज पर अंतिम निर्णय एवं अनुमोदन

		माननीय मंत्रिपरिषद का होगा। **प्रकरण-विशेष पैकेज हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार होंगे:** i. **पारदर्शी एवं मानकीकृत ढाँचा:** अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेजों के मूल्यांकन, वार्ता, अनुमोदन, वितरण एवं अनुश्रवण हेतु वस्तुनिष्ठ, एकरूप एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ii. **रणनीतिक एवं प्रतिबंधित पात्रता:** सहायता मुख्यतः ₹3,000 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश वाली अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं तक सीमित होगी, जो प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन, सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए), अथवा क्षेत्रीय विकास के माध्यम से अपना रणनीतिक महत्व प्रदर्शित करती हों। iii. **आवश्यकता-आधारित एवं राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण प्रोत्साहन:**

		सहायता का निर्धारण वास्तविक पात्र निवेश, परियोजना की व्यवहार्यता, संभावित आर्थिक लाभों तथा राज्य सहायता की अपरिहार्यता के आधार पर किया जाएगा और यह निर्धारित परियोजना-स्तरीय एवं वार्षिक राजकोषीय सीमाओं के अधीन होगी।
संलग्नक-4, item(xi)	"वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स तथा निजी औद्योगिक पार्क"	**संलग्नक-4, item(xi) को निरसित निरसित करते हुए उसके स्थान पर item(xii) (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस सूची में सम्मिलित करने हेतु अधिसूचित अधिसूचित किए जाने वाले अन्य उद्योग) को अंकित किया जाए।**

शासन के पत्र संख्या- 54/2023/3452/77-6-2023-02(एम)/2022, दिनांक 01.11.2023 द्वारा प्रख्यापित नीति को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। नीति के अन्य प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।
औद्योगिक विकास विभाग।